

# घरेलू हवाई यात्रा महंगी, किराए की निचली सीमा 13 से 16 फीसद बढ़ी

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16 फीसद वृद्धि की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में यह कहा गया है।

हवाई यात्रा किराए में यह वृद्धि एक जून से प्रभाव में आ जाएगी। हवाई किराए की ऊंची सीमा को हालांकि, पूर्ववत रखा गया है।

सरकार के इस कदम से एअरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है जिसकी उनकी आय घटी है। देश में हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराए की निचली और ऊंची सीमा तय की गई।

# 'गूगल, फेसबुक, वाट्सऐप ने ब्योरा साझा किया, ट्विटर नहीं कर रहा नियमों का पालन'

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

गूगल, फेसबुक और वाट्सऐप ने नए डिजिटल नियमों के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से ब्योरा साझा कर दिया है। हालांकि ट्विटर अभी इन नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्योरा नहीं दिया है। वहीं नोडल संपर्क और शिकायत अधिकारी के रूप में एक विधि कंपनी में काम करने वाले वकील का नाम दिया है।

सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर बड़े सोशल मीडिया मंचों ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का ब्योरा आइटी मंत्रालय से साझा कर दिया है।

# अलीगढ़ में मिलावटी शराब पीने से 15 लोगों की मौत

अलीगढ़/लखनऊ, 28 मई (भाषा)।

अलीगढ़ में एक अनुबंधित दुकान से खरीदी गई कथित मिलावटी शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी समेत तीन लोगों को निर्लंबित कर दिया है।

अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि जिले में जहरीली शराब के सेवन से 15 लोगों की मौत हो गई है और कुछ अन्य बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की समयबद्ध मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया है

और यह जांच अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा सकता है।

आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव, संजय भूसेरुड़ी ने शुक्रवार को बताया कि अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी धीरज शर्मा, संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार यादव और प्रधान आबकारी सिपाही अशोक

अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि कुछ अन्य बीमार हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि घटना की समयबद्ध मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया है और यह जांच अपर जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी द्वारा की जाएगी।

कुमार को तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके पहले अलीगढ़ परिक्षेत्र के पुलिस उप महा निरीक्षक (डीआइजी) दीपक कुमार ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि आज सुबह लोधा थाना पुलिस को सूचना मिली कि अलीगढ़-टप्पल राजमार्ग पर यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर करसिया गांव में एक टेके

से खरीदी गई देसी शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई, जिनकी पहचान ट्रक चालकों के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों चालक अलीगढ़-टप्पल राजकीय राजमार्ग पर स्थित एक गैस डिपो में काम के सिलसिले में आए थे। उनके मुताबिक जब तक पुलिस और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक सूचना मिली कि करसिया और आसपास के कुछ अन्य गांवों के छह अन्य लोगों ने भी शराब पीने के बाद दम तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों को इलाके में भेजा गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

# जम्मू-कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष की टिप्पणी भ्रामक व अस्वीकार्य : भारत

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोर्जिकर पर जम्मू-कश्मीर पर उनकी टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को निशाना साधा। भारत ने कहा कि उनकी भ्रामक और पूर्वाग्रह से प्रेरित टिप्पणी उस पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती है जिस पर वह आसीन हैं।

बोर्जिकर ने इस्लामाबाद में गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में और मजबूती से लाना पाकिस्तान का कर्तव्य है।

विदेश मंत्रालय ने एक कड़ी प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी टिप्पणी अस्वीकार्य है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश को लेकर उनके द्वारा किया गया उल्लेख अनुचित है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मुद्दे पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा, 'जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौजूदा अध्यक्ष भ्रामक और पूर्वाग्रह से प्रेरित टिप्पणी करते हैं, तो वह अपने पद को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का व्यवहार वास्तव में खेदजनक है और निश्चित रूप

# पंजाब कांग्रेस में विवाद के समाधान के लिए समिति गठित

नई दिल्ली, 28 मई (भाषा)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे जाकयुड के बीच पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं के मतभेद को दूर करने के लिए शुक्रवार को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल इस समिति में शामिल हैं। यह समिति शनिवार सुबह कांग्रेस मुख्यालय में पहली बार बैठक करेगी।

**आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
पंजी. कार्यालय एवं कार्यालय: 17वीं फ्लोर, बरखावा रोड, लखनऊ-226001 (हरियाणा)  
फोन नं: 98120-20111, 98120-40111  
ईमेल: arceindia@gmail.com  
सीआईएन: L29120XN1992PL031081

**एचए**  
एतद्वारा सूचित किया जाता है, सेबी (सूचीबद्ध अधिकारियों एवं प्रकटीकरण अपेक्षार) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पंजीयन नं. 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम वित्तीय परिणामों पर विचार तथा मंजूरी हेतु निदेशक बंडल की बैठक बुधवार, 10 जून, 2021, को आयोजित की जाएगी।

कृते: **आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड**  
हस्ता./-  
(सह) /  
कंपनी सचिव

**स्थान: गिहार (हरियाणा)**  
दिनांक: 28.05.2021

**पॉल मेर्चेंट्स लिमिटेड**  
(आयएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।)  
(सीआईएन: L74900DL1984PLC018679)

**संयुक्त कार्यालय: एएससीओ 829-830, सैक्टर 22-ए, चंडीगढ़-160022**  
फोन: 0172-5041786, फैक्स: 0172-5041709, ई-मेल: info@paulmerchants.net

**पंजी. कार्यालय: टोपिका 335, 336, 337, तीसरा तल, वीएलएफ टॉवर, 15, गिहार की बगैचे, नवजयपुर रोड, नई दिल्ली-110015**  
फोन: 011-48702000

**वेबसाइट: www.paulmerchants.net**

**बोर्ड की बैठक की सूचना**  
सेबी (आयएसओ के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षार) विनियमों, 2015 के विनियम 29(1)(ए) तथा अन्य लागू प्रावधानों के प्रावधानों को अनुपालना में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (आयएसओ के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षार) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम वित्तीय परिणामों पर विचार तथा मंजूरी हेतु निदेशक बंडल की बैठक बुधवार, 10 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी।

कृते: **पॉल मेर्चेंट्स लिमिटेड**  
हस्ता./-  
(सह) /  
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी,  
FCS-5046

**स्थान: चंडीगढ़**  
दिनांक: 28.05.2021

**प्रारूप संख्या आईएनसी-26**  
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

**केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली**  
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के नाम से मे

और

**अरिस्टोस पैनेल्स प्राइवेट लिमिटेड**  
(पूर्व में पहचान - प्रैस्टीज विनियर्स प्राइवेट लिमिटेड)  
(CIN: U20211DL2007PTC158812)

जिसका पंजीकृत कार्यालय: एफ यू-15, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, भारत में है, के मामले में

...अभिव्यक्त करने/संशोधित करने

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन अंतर्गत करने का प्रस्ताव करती है जिसे कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थानांतरित करने के लिए 21 मई 2021 को आयोजित संवेलन की अवधि में प्रस्तावित प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी के संयम प्राधान में संशोधन की पुष्टि की जा सकती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरित प्रस्तावना से यह किन्हीं व्यक्ति का हित प्रभावित होगा है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत प्रकृत फाइल कर एमएसी-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक प्रमाण पत्र लिखते उनके हित का प्रचार और उनके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आदि प्रारंभिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 बिल्डिंग, दूसरा तल, पार्थिवन कम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजे।

**अरिस्टोस पैनेल्स प्राइवेट लिमिटेड, एफ यू-15, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, भारत**

अभिव्यक्त के लिए और आवेदक की ओर से अरिस्टोस पैनेल्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में पहचान - प्रैस्टीज विनियर्स प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा /- निशांत गोयल (निदेशक)

दिनांक: 28.05.2021  
स्थान: नई दिल्ली

सीआईएन: 023959006

**एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड**  
कॉर्पोरेट कार्यालय ए 506-ए 510, कृष्णाकाल एस्टेट, अंधेरी-पूर्व नगर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत-400093

**मांग सूचना**

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) विनियम, 2002 ("नियमवली") के प्रावधानों के अंतर्गत एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के नाते अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पंजीयन नियम 3 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी कर निम्न ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्रतिलिपि के साथ 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचनाओं में वॉलेंट राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। अधोहस्ताक्षरी का पयोग रूप से मानना है कि ऋणधारक मांग सूचना की सेवा से बच रहे हैं, अतः नियमवली के अनुसार सूचना की सेवा प्रतिक्रियाएं एवं प्रकाशन द्वारा दी जा रही है। मांग सूचना का विषय वस्तु यहाँ नीचे वर्णित है:

क्र.सं.	ऋणधारक (को) का नाम	मांग सूचना तिथि	अंतिम समीक्षा/गिरवी सम्पत्ति का विवरण	
			राशि	स्थान
1.	सकेल कुमार, 2. अम लोकाय एलएलएन. (DEL000000002473) ए.ए. (DEL0000000015705)	18.5.2021 11.5.2021 को	मकान सं. 1084, एरिया 160 वर्ग गार्डन, किल्ला नं. 16/21/3, 22/1/2, 27/1/2/3, 2/1/1 जो ग्राम इराकोर, नुरुगुम, हरियाणा-122016 जो लाल डेरा में स्थित है।	
2.	1. फिनाल पैनेल्स 2. मंगल गोयल एलएलएन. (DEL000000006420)	18.5.2021 11.5.2021 को	काका मोहनलाल बाबा राम, गवाड़ी कालोनी एच फोर्ड रोड, हरियाणा-123110 में स्थित अधोहस्ताक्षरी सं. 3769/3/67-68, एरिया ग्राम 241 वर्ग गार्डन	
3.	1. सोमनंद टुल्लू टैलर 2. राकेश सिंह सक्सेना 3. रविशंकर सोमनंद 4. सुनील सुनील एलएलएन. (DEL0000000010211)	18.5.2021 29.11.2019/11.5.2021 को	काका मोहन लाल (पुनर्निर्माण कालोनी), नरसीन बल्लभपुर, विला फरीदाबाद, हरियाणा-121004 में स्थित मकान सं. एमसीएफ-2140, प्लॉट नं. 4, एरिया ग्राम 129 वर्ग गार्डन, खान नं. 600, मुहल्ल नं. 118, किल्ला नं. 6/2 में शामिल	

एतद्वारा ऋणधारकों को सलाह दी जाती है कि मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करें तथा लागू होने वाले ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, ब्याज चार्ज, लागत तथा भुगतान को वसूली की तिथि तक खर्च के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित मांग सूचना को वापस लौटाने के साथ ऋणधारक यह ध्यान रखें कि एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई सूचना राशि अन्वय समर्पण/परिसम्पत्ति को ऋणधारक(ओं) द्वारा निरवली रहीं मई प्रतिभूति परिसम्पत्ति है, के प्रति एक प्रतिभूति खान है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऋणधारक अपनी देवताओं को निष्पत्ति करने में विफल होते हैं तो एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को कब्जा लेने के साथ ही साथ अधिनियम तथा उसके अंतर्गत निवर्तन के अंतर्गत उपलब्ध किसी या किसी अन्य उपकरण द्वारा उक्त अंतर्गत करने तथा भुगतान को वसूली करने के लिये अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होगा। एम्बिट फिनवेस्ट लिमिटेड अथवा अंतर्गत के अधिकार को प्रवर्तित करने से पूर्व प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को पृथक एवं/अथवा सील करने के लिये भी अधिकृत है। प्रतिभूति परिसम्पत्तियों की विक्री के उपरान्त एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को मूल्य एम्बिट फिनवेस्ट को देय बकायों को पूरा करने में उपयोग होता है तो, जेब बकायों की वसूली के लिये अलग से कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी अधिकार है। यह उपचार किसी अन्य कानून के अंतर्गत एम्बिट फिनवेस्ट को उपलब्ध सभी अन्य उपकरणों के अतिरिक्त तब तक रहने हैं।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों को विनियमित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) तथा पुनः अधिनियम की धारा 13(13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके द्वारा ऋणधारक एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिभूति प्राप्त किये बिना किसी भी प्रतिभूति परिसम्पत्ति का विक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से (व्यवसाय को सामान्य प्रक्रियाओं को छोड़कर) विक्री अथवा अंतरण करने के अधिकार से वंचित है तथा उपरोक्त का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध होगा। मांग सूचना को प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है तथा ऋणधारक, यदि ऐसा चाहे किसी भी कार्य दिवस को सामान्य कार्यालय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से उक्त प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./-  
प्रमोत ओहल, प्राधिकृत अधिकारी  
एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड  
दिनांक: 29.05.2021

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		29 मई, 2021					
पंजीकृत कार्यालय : इंदियन रैबन कम्पाउण्ड, वेगल, गुजरात-362266							
शाखा कार्यालय : दूसरी मंजिल, इंटरनेशनल बिजिनेस सेंटर, सी स्क्रीन, जयपुर-302001							
वित्तीय आसत्या के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) (अधिनियम) के तहत मांग सूचना							
क्र.सं.	कजदार (र) के नाम तथा पता (क)	सम्पत्ति का विवरण (ख)	ऋण राशि (रु.) (ग)	ऋण खाता सं. (घ)	बकाया राशि (रु.) (ङ)	सूचना की तिथि (च)	एनएए तिथि (छ)
1.	1. श्री जनार्दन शर्मा, 754 सुमेर नगर, निकट गगन भारती स्कूल, न्यू सांगनेर रोड, सांगनेर, मानसरोवर, जयपुर-302020 साथ ही : मैसर्स जे. जनार्दन एण्ड एसोसिएट्स, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, बी-01, बेसमेंट, पी. सं. 3/16, चित्रकूट योजना, जयपुर-302021 2. श्रीमती रचना शर्मा, 754 सुमेर नगर, निकट गगन भारती स्कूल, न्यू सांगनेर रोड, सांगनेर, मानसरोवर, जयपुर-302020 साथ ही : दीक्षा एन्टरप्राइजेज, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, बी-01, बेसमेंट, पी. सं. 3/16, चित्रकूट योजना, जयपुर-302021	प्लॉट सं. 904, 9वीं मंजिल, टॉवर सी, ओमेक्स सिटी, शिवपुर रेजीडेंसी, अजमेर रोड, जयपुर	रु. 39,00,000/-	LNJAIPHL-08150024032	रु. 36,44,929/- (रुपये छत्तीस लाख चौवालीस हजार नौ सौ उन्तीस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	15-05-2021	31-03-2021
2.	1. शुभम कुमार सैनी, निवासी पी.नं. 32, सालासर वार्डिका II, निवारू रोड, झोटावाड़ा रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 साथ ही : भूवल, यूनिट नं. जी-2, प्लॉट नम्बर 224-225, स्क्रीन गंगा विहार, गोकलपुरा, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 2. लवीना सैनी, निवासी पी.नं. 32, सालासर वार्डिका II, निवारू रोड, झोटावाड़ा रोड, जयपुर, राजस्थान-302012 3. मैसर्स शिव कुंज इन्वेन्स्ट इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, शिव कुंज गार्डन, निवारू रोड, झोटावाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012.	सम्पत्ति सं. भूवल, यूनिट नं. जी-2, माप 1150 वर्ग फीट, 12/21 नम्बर 224-225, स्क्रीन गंगा विहार, गोकलपुरा, कलवार रोड, जयपुर राजस्थान का सम्पूर्ण भाग	रु. 32,00,000/-	LNJAIHL-05180036747 & LNJAHL-05180039316	रु. 33,37,365.28/- (रुपये तीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ पैंसट एवं अट्ठारह सैस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	13-05-2021	31-03-2021
3.	1. विशिष्ट उत्तराधिकारी स्व. श्री यतेंद्र कुमार निवासी प्लॉट सं. 33, विख्यात विहार कॉलोनी, जय राम पुरे मार्ग खोड़ा, विहाल जयपुर, झोटावाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012. 2. पिंकी देवी पत्नी स्व. श्री यतेंद्र कुमार निवासी प्लॉट सं. 33, विख्यात विहार कॉलोनी, जय राम पुरे मार्ग खोड़ा, विहाल जयपुर, झोटावाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012. 3. महेश कुमार शुक्ला, निवासी 38-ए बालाजी विहार-28, निवारू रोड, झोटावाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012.	विख्यात विहार जयराम पुरे रोड, खोड़ा विहाल, पी. नं. 33, विख्यात विहार जयरामपुरा खोड़ा, विशाल झोटावाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 का सम्पूर्ण भाग	रु. 11,85,000/-	LNJAILAP-12170001051	रु. 14,22,115/- (रुपये चौदह लाख बाईस हजार एक सौ पन्द्रह मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	13-05-2021	31-03-2021
4.	1. राम धन मोना, बाबा रामदेव मन्दिर वाली गली, मरसिया, जोधपुर, राजस्थान-342001 साथ ही : राम धन मोना पुत्र श्रवण लाल मोना, कान्हापुर, कालाडेर, जयपुर, जोध, राजस्थान-303801 2. पिंकी देवी, बाबा रामदेव मन्दिर वाली गली, मरसिया, जोधपुर, राजस्थान-342001 साथ ही : पिंकी देवी पत्नी राम धन मोना, बाई सं. 15, मनी को धानी कनारपुर, जयपुर, राजस्थान-303801	सिक्कीरिटी एच63/7, सिटी होम्स, ग्राम भाकरासनी, पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान, भारत-342001 का सम्पूर्ण भाग	रु. 9,11,363/-	LNJODOHL-02180003004 तथा LNJODOHL-02180003008	रु. 9,81,132.88/- (रुपये नौ लाख इक्कीस हजार एक सौ अठ्ठासी एवं अट्ठारसी सैस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	15-05-2021	31-03-2021
5.	1. हदमंत सिंह, मरुधर पॉलीकॉर्ट इंडिया प्रा.लि., 6वां लेन, प्लॉट नं. 5, बालाजी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2 बासनी, जोधपुर, राजस्थान-342005 साथ ही : मरुधर पॉलीकॉर्ट (इंडिया) प्रा.लि., एफ-667/68, मरुधर इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2 बासनी, जोधपुर-342001 2. सज्जन कंवर, मरुधर पॉलीकॉर्ट इंडिया प्रा.लि., 6वां लेन, प्लॉट सं. 5, बालाजी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2, बासनी, जोधपुर, राजस्थान-342005	सम्पत्ति सिक्कीरिटी प्लॉट नं. 5/8/9, सिटी होम पाली, खसरा नं. 1164, ग्राम पाली, राजस्थान, भारत-306401 का सम्पूर्ण भाग	रु. 6,63,483/-	LNJODOHL-08180010584 तथा LNJODOHL-08180010586	रु. 6,50,025.78/- (रुपये छः लाख पचास हजार पच्चीस तथा अठारतर सैस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	15-05-2021	31-03-2021
6.	1. कपिल दर्शीणि, 4/219, हाउसिंग बोर्ड पाली मारवाड़ा, पाली, राजस्थान-306401 साथ ही : कपिल ट्रांसपोर्ट कं., ट्रांसपोर्ट नगर, पाली मारवाड़ा-306401 2. हेमलत दर्शीणि, 4/219, हाउसिंग बोर्ड पाली मारवाड़ा, पाली, राजस्थान-306401	सम्पत्ति सिक्कीरिटी एच-58/8, सिटी होम, ग्राम भाकरासनी, पाली रोड, जोधपुर, राजस्थान, भारत-342001 का सम्पूर्ण भाग	रु. 7,83,769/-	LNJODOHL-03180004919 तथा LNJODOHL-03180004951	रु. 5,81,080.81/- (रुपये पाँच लाख इक्कीस हजार अस्सी एवं इक्कीस सैस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	15-05-2021	31-03-2021
7.	1. बुद्धा राम, मरुधर पॉलीकॉर्ट इंडिया प्रा.लि., 6वां लेन, प्लॉट नं. 5, बालाजी इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2 बासनी, जोधपुर, राजस्थान-342005 साथ ही : बुद्धा राम मरुधर पॉलीकॉर्ट (इंडिया) प्रा.लि., एफ-667/68, मरुधर इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 2 बासनी, जोधपुर-342001 साथ ही : बुद्धा राम पुत्र रामा राम, 32, चौगहे के पास, बासनी बंसीया पाली राजस्थान-306307 2. संतोष देवी, बासनी दयवाहिया, निम्बरा कलां, पाली, जोधपुर, राजस्थान-306305	सम्पत्ति सिक्कीरिटी 08/10/ सिटी होम पाली, खसरा नं. 1164, ग्राम पाली, राजस्थान, भारत का सम्पूर्ण भाग	रु. 6,63,483/-	LNJODOHL-08180010839 तथा LNJODOHL-08180010840	रु. 5,60,729.88/- (रुपये पाँच लाख साठ हजार सात सौ उन्तीस एवं अट्ठारसी सैस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	15-05-2021	31-03-2021
8.	1. किशन लाल, 30, निकट चारभुजा मंदिर के पास, बिथुड़ा कनिया, बिथीरा कलां, पाली, राजस्थान-306001 साथ ही : मैसर्स किशन लाल, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से, निकट पंचावत भवन, बिथीरा कलां, राजस्थान-306002 2. कंचन नारायण लाल, 30, निकट चारभुजा मंदिर के पास, बिथुड़ा कनिया, बिथीरा कलां, पाली, राजस्थान-306001	सम्पत्ति सं. 22बी-303, आसान होम्स निकट महादेव बागीची, 100 फीट भोगसिंह रोड, राजस्थान ग्राम पाली II, तहसील-पाली, राजस्थान, भारत-306401 का सम्पूर्ण भाग	रु. 4,72,086/-	LNJODOHL-09180012142 तथा LNJODOHL-09180012146	रु. 3,00,141.45/- (रुपये तीन लाख एक सौ इक्कीस एवं पैतालीस सैस मात्र) 10 मई, 2021 तक बकाया मूलधन, एरिया (विलम्ब प्रभार सहित) तथा ब्याज के माध्यम से	15-05-2021	31-03-2021

जैसा कि आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जिसका ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय है (यहाँ के बाद 'एवीएचएफएल' वर्णित) ने क्रमशः क्रम सं. 1 से क्रम सं. 8 के माध्यम से उक्त प्रत्येक ऋणधारकों के नाम के समक्ष कालम घ में वर्णित ऋण खाता सं. के माध्यम से कॉलम ग में लिखित पृथक साख सुविधा कॉलम क में वर्णित उक्त नामित ऋणधारकों को प्रदान किया था। उक्त साख सुविधाएं अन्य बातों के अलावे प्रत्येक ऋणधारक के नाम के समक्ष लिखित अचल सम्पत्ति पर गिरवी द्वारा प्रतिभूत है (यहाँ के बाद "प्रतिभूत परिसम्पत्ति" वर्णित)। कि, ऊपर नामित ऋणधारक ऋण खाता के वित्तीय उपशासन को कायम रखने में विफल रहे तथा एवीएचएफएल द्वारा व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रबंधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रत्येक ऋणधारक के नाम के समक्ष कॉलम 'च' में दर्शाई गई तिथि तक कॉलम 'ङ' में वर्णित राशि बकाया है। उक्त ऋणधारकों की ओर से ऋण राशि के पुनर्भुगतान में लगातार चूक के कारण उक्त ऋणधारकों की ऋण खाता को भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत क्रमशः कॉलम 'छ' में दर्शाई गई तिथि को एवीएचएफएल द्वारा री प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में चर्गीकृत कर दिया गया है। तदुपरांत, प्रत्येक ऋणधारक को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत कॉलम 'च' में उल्लिखित सूचना जारी की गई, यह भी अडेलिब/डेलिब/डिब रही है। उपरोक्त चूक को देखते हुए एवीएचएफएल एतद्वारा ऊपर नामित ऋणधारकों को निर्देश देता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत एवं चार्ज सहित ऊपर कॉलम 'च' में दर्शाई गई तिथि तक कॉलम '